संख्या- 743/18-4-2025-7(5)/92

प्रेषक,

प्रवीण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर**,2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**003 **के अंतर्गत "राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना" योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-221/**यूपीटीपीए**, **दिनांक** 16-9-2025 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2025-26 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**003 **के अंतर्गत "राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना" योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू**0 1500.00 **लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-**579 /18-4-2025-7(5)/92, **दिनांक** 05.08.2025 **के माध्यम से** 50 **प्रतिशत धनराशि अर्थात रू**0 750.00 **लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसे उक्त प्राविधिानित धनराशि रू**0 1500.00 **लाख में से घटाने के फलस्वरूप अवशेष** 50 **प्रतिशत धनराशि अर्थात रू**0 750.00 **लाख (रू**0 **सात करोड़ पचास लाख) मात्र द्तिीय/अंतिम किश्त के रूप में अग्रांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्ययार्थ आपके**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

निवर्तन पर रखते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1.उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित मद में ही निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्ययन हेतु नहीं किया जायेगा ।

3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

5. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानकों (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उयम तथा निर्यात प्रोत् साहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 05-08-2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 750.00 लाख तथा उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को प्रपत्र वी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

9. पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 05-08-2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 750.00 लाख तथा इस शासनादेश द्वारा द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि रु० 750.00 लाख से संबंधित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण धनराशि व्यय होने के एक माह के अंदर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- 1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को धनराशि व्यय होने के एक माह के अंदर अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

11. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-800-03-00-19) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-743 (1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-I) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन,उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर/लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 तथा 3
9- संयुक्त सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in